

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक

संख्या-08/आ०5-18/2022...../ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 308 दिनांक 11.03.2022 द्वारा श्रीमती रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर-सम्प्रति-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वजीरगंज, गया के विरुद्ध आरोप पत्र प्रतिवेदित करते हुए निलंबित किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया। श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रखंड शिक्षक नियोजन ईकाई, साहेबगंज में काउंसलिंग प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 462 दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्रीमती रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 09 (1) (क) के तहत निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय समस्तीपुर निर्धारित किया गया।

2. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए साक्ष्यों की छायाप्रति संलग्न कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (4) में निहित प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 463 दिनांक 17.06.2022 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के कार्यालय पत्रांक 415 दिनांक 18.04.2022 द्वारा लिखित बचाव अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

3. श्रीमती कुमारी से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 664 दिनांक 26.08.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्रीमती रेणु कुमारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 247 दिनांक 10.11.2022 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राप्त नहीं होने के कारण निदेशालय के पत्रांक 63 दिनांक 30.01.2023 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी से सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिवत् जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 50 दिनांक 10.03.2023 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध संचालित

अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर के संयुक्तादेश संख्या 98 दिनांक 16.01.2022 द्वारा काउन्सिलिंग में शिक्षा विभाग के जिला स्तर से वरीय पदाधिकारी के रूप से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (एम० डी० एम०) की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिनके देख रेख में काउन्सिलिंग का कार्य सम्पादित हुआ था। उक्त काउन्सिलिंग के प्रारम्भ से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर द्वारा स्वयं माइक से अभ्यर्थियों को बुलाकर काउन्सिलिंग कराया जा रहा था। इस काउन्सिलिंग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं थी। इस तथ्य की पुष्टि सुनवाई में उपलब्ध कराई गई पेन ड्राइव के अवलोकन से हुई। उक्त काउन्सिलिंग में प्रपत्र 'ग' चयनित सूची का अवलोकन किया गया। उक्त सूची पर प्र० शि० पदा० (श्रीमती रेणु कुमारी) का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश सं० 224 दिनांक 18.01.2022 के अनुसार, चयनित सूची को उसी समय प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, साहेबगंज-सह-सदस्य सचिव के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कर देना चाहिए था किन्तु ये सभी कागजात अपने साथ लेकर चले गये तथा चयनित किये अभ्यर्थियों से इतर अभ्यर्थियों का नाम दर्ज कर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया गया जिसे बिना जाँच किये वेबसाइट पर डाल दिया गया। आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी की सहमति प्रदान की गई है। तदनुसार, आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

5. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्रीमती रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर-सम्प्रति-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वजीरगंज, गया को आरोप मुक्त करते हुए इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक-08/आ० 5-18/2022 - 979/

पटना, दिनांक 21.08.2022

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं गया/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), मुजफ्फरपुर एवं गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी एवं श्रीमती रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर-सम्प्रति-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वजीरगंज, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)